पुलिस आदेश संख्या 236/92

पटना, रांची तथा भागलपुर जिलों में वरीय आरक्षी अधीक्षक के अलावे नगर एवं ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक के पद भी सृजित हैं जो आरक्षी अधीक्षक स्तर के हैं। इनके बीच कार्यों का बटवारा वर्तमान पुलिस आदेश संख्या 26 एवं पुलिस मुख्यालय के ज्ञाप संख्या 5413/एस. दिनांक 8-5-1957 के द्वारा किया गया है। इसके बहुत स्पष्ट नहीं रहने के कारण यदा-कदा भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है। अतः गहराई से विचारोपरांत उपर्युक्त पदाधिकारियों के बीच कार्यों का बटवारा निम्न प्रकार से किया जाता है।

2- इस पुलिस आदेश के प्रभावी होने पर पुलिस आदेश संख्या 26 तथा पुलिस मुख्यालय के उपर्युक्त ज्ञापांक स्वतः विलोपित हो जायगें।

3- इस पुलिस आदेश का प्रमुख लक्ष्य है कि विभिन्न आरक्षी अधीक्षकगण वितरित कार्यों को जिम्मेवारी पूर्ण ढंग से करेंगे जिससे आपस में किसी तरह की गलतफहमी न हो। साथ ही इसका लक्ष्य यह भी स्पष्ट करना है कि जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में वरीय आरक्षी अधीक्षक जिला पुलिस के प्रधान हैं एवं उन्हीं के नेतृत्व एवं जिम्मेवारी में जिला पुलिस का कार्य होना है।

वरीय आरक्षी अधीक्षक

1- निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण:-

(क) महत्वपूर्ण पोस्टों का निरीक्षण:- वरीय आरक्षी अधीक्षक कुल पोस्टों के कम से कम 25 प्रतिशत पोस्टों का निरीक्षण स्वयं करेंगे। तीनों आरक्षी अधीक्षकों द्वारा अग्रिम निरीक्षण प्रोग्राम वर्ष के शुरू में ही बनाया जायगा। जिन पोस्टों का वरीय आरक्षी अधीक्षक संबंधित वर्ष में निरीक्षण हेतु चुनेंगे उन पोस्टों का निरीक्षण ग्रामीण एवं नगर आरक्षी अधीक्षक द्वारा नहीं किया जायगा। वे अन्य थानों/पोस्टों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। वरीय आरक्षी अधीक्षक को यह छूट रहेगी कि आवश्यकतानुसार वे उन पोस्टों का भी निरीक्षण कर सकते हैं जिनका निरीक्षण नगर/ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक द्वारा पूर्व में किया जा चुका है या भविष्य में किया जाने वाला है।

(ख)- पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण।

(ग)- महत्वपूर्ण विशेष प्रतिवेदित कांडों के अनुसंधान का पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान पर नियंत्रण जिसका संकेत वरीय आरक्षी अधीक्षक करेंगे। वैसे कांडों में अन्तिम प्रपत्र का आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक करेंगे।

(घ)- मासिक/त्रैमासिक अपराधों की समीक्षा।

(ङ)- अपराध दैनन्दनी का अवलोकन

(च)- अनुसंधानान्तर्गत लम्बित कांडों की सूची को चेक करना।

कृ.पृ.उ.- 2-

-- ... के प्रशासनिक ... तैयार करना ।

3- बजट एवं अनुदान का पूर्ण ... ।

- ...:-

(क)- पेन्सन एवं उपादान ।

(ख)- आरक्षी निरीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी/उपाधीक्षक का ... ... विपत्र ।

(ग)- ... का ... निरीक्षण ।

(घ)- बजट ।

(च)- व्यय-विवरणी ।

(छ)- नगर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण कीअनुशंसा पर ... पदाधिकारी के स्टाफ एवं रक्षित कार्यालय के स्टाफ को पुरस्कार स्वीकृत करना ।

(ज)- अपने विवेक के अनुसार पूरे जिला के पदाधिकारियों एवं बल को पु... स्वीकृत करना ।

5- गृह रक्षकों के संदर्भ में सभी मामले ।

6- पत्राचार ।

(क)- वरीय पदाधिकारियों के साथ

(ख)- वैसे पत्राचार, आरक्षी अधीक्षक नगर/ग्रामीण द्वारा प्रस्तावित कि...

7- स्थापना

(क)- अनुशासन एवं सामान्य प्रशासन ।

(ख)- जिला स्थापना ।

(ग)- मासिक बल विवरणी ।

(घ)- जिला सशस्त्र पुलिस के सभी कार्य ।

(च)- सिपाही/हवलदार को छोडकर साक्षर आरक्षी सहित सभी पंक्तित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन/... ... आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण से नियमित परामर्श के पश्चात् ।

(छ)- नगर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण एवं उपाधीक्षक ... पदाधिकारियों की गोपनीय चारित्र अभ्युक्तियों को प्रतिवेदक ... के हैसियत से आरम्भ करेंगे ।

(ज)- आवश्यकतानुसार सभी स्तर के पदाधिकारियों का गोपनीय चारि... का आलेखन ।

(झ)- डी.ए.पी. के सभी श्रेणी के व्यक्तियों एवं स.अ.नि. एवं उनके ऊ... पंक्तियों के पदाधिकारियों को अवकाश की स्वीकृति ।

8- शस्त्रागार एवं अन्य भंडार

(क)- भंडार की जाँच एवं इससे संबंधित सभी तरह के पत्राचार ।

(ख)- अस्त्र-शस्त्र एवं गोलाबारूद का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन

(ग)- सभी आईटम का इन्डेन्ट करना (क्लोदिंग सहित) ।

(घ)- डी.ए.पी. क्लोदिंग भंडार का नियत कालिन सत्यापन ।

9- परिवहन:-

(क)- चालक के प्रशिक्षण से संबंधित महत्त्वपूर्ण कागजात ।

(ख)- नये वाहन के लिए इन्डेन्ट करना ।

(ग)- बृहत्त मरम्मति ।

(घ)- दुर्घटना ।

10- गोपनीय

(क)- गोपनीय शाखा का सम्पूर्ण प्रभार ।

(ख)- विदेशी शाखा का सम्पूर्ण प्रभार ।

11- अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा:-

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रभार वरीय आरक्षी अधीक्षक के जिम्मे रहेगा ।

12- वरीय आरक्षी अधीक्षक को यह प्राधिकृत किया जाता है कि वह कोई कार्य जो महानिदेशक के आदेश के अन्तर्गत नहीं आता है, को नगर आरक्षी अधीक्षक /आरक्षी-अधीक्षक, ग्रामीण को करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं ।

13- अवकाश:-

(क)- वरीय आरक्षी अधीक्षक के अवकाश की स्वीकृति जिला पदाधिकारी की सहमति से क्षेत्रीय उप- महानिरीक्षक करेंगे ।

(ख)- नगर, ग्रामीण एवं यातायात आरक्षी अधीक्षक की आकस्मिक एवं क्षतिपूर्ति अवकाश क्षेत्रीय उप- महानिरीक्षक द्वारा स्वीकृत करने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होगी एवं छुट्टी संबंधी आदेश पत्र वरीय आरक्षी अधीक्षक ही अग्रसारित करेंगे ।

14- विविध महत्त्वपूर्ण :-

(क)- जिला के सम्पूर्ण प्रभार में वरीय आरक्षी अधीक्षक रहेंगे ।

(ख)- नगर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण, आरक्षी अधीक्षक यातायात वरीय आरक्षी अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

(ग)- जिला पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखने की सर्वोपरि जिम्मेदारी ... आरक्षी अधीक्षक की होगी । अन्य सभी आरक्षी अधीक्षक उनका ... करेंगे ।

(घ)- विभागीय कार्यवाही का निष्पादन वही आरक्षी अधीक्षक करेंगे जिनके द्वारा यह शुरू की गयी हो । लेकिन आरक्षी/हवलदार ... की सजा का आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा पारित ... क्योंकि नियमतः जिला आरक्षी अधीक्षक होने के नाते वही ... नियुक्ति पदाधिकारी होते है ।

(च)- ... नगर आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक ग्रामीण ... आदेश के संबंध में वरीय आरक्षी अधीक्षक हस्तक्षेप करना चाहें ... कर सकते हैं, परन्तु अपने आदेश की प्रति क्षेत्रीय उप- महानिरीक्षक को देना होगा ।

(छ)- सप्ताह में एक बार पुलिस पैरेड में भाग लें ।

(ज)- दो महीने पर नियमित रूप से पुलिस सभा को संबोधित करें ।

समन्वय.-

(i)- उल्लेखित सभी आरक्षी अधीक्षक सप्ताह में एक बार ... के संबंध में समन्वय बनाये रखेंगे ।

(ii)-क्षेत्रीय उप- महानिरीक्षक महीना में एक बार सभा ... बुलायेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि उनमें समन्वय है ।

(iii)- वरीय आरक्षी अधीक्षक के छुट्टी या अन्य कार्यों में जिला ... प्रस्थान करने पर जिला के प्रभार में वर्तमान वरीयतम आरक्षी ... प्रभार में रहेंगे ।

नगर आरक्षी अधीक्षक

1. निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण:-

(क)-- क्षेत्राधिकार के अन्दर पोस्टों का निरीक्षण (उन पोस्टों - जिनका निरीक्षण वरीय आरक्षी अधीक्षक करने वाले हैं ।)

(ख)-- प्रभार के सभी विशेष प्रतिवेदित एवं अविशेष प्रतिवेदित ... का निरीक्षण/... समीक्षा/ लम्बित अनुसंधानों ... महत्वपूर्ण ... से वरीय आरक्षी अधीक्षक को अवगत ...

(ग) [illegible] के अपराध कार्यालय के कागजात यथा–अपराध पंजी/एफ.आई.आर./एफ.एम./दैनिक प्रतिवेदन/पुरस्कार फॉर्म / ओ.यू.डी./चौकीदार संबंधी मामले/बर्गलरी चार्ट/भगोड़ा एवं डकैती पंजी/अपराध नियंत्रण संबंधी – संचिकाएं/अग्रिम पेट्रोलिंग चार्ट आदि पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ।

(घ)– क्षेत्राधिकार के अन्दर बन्दूक का लायसेंस ।

2– चौकीदारी:– अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर दफादार एवं चौकीदार के संबंध में प्रचार । " जी " एवं "एच" फॉर्म का निष्पादन ।

3– परिवहन:–

(क)– अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर वाहन के संबंध में प्रोसेक्यूसन रिपोर्ट ।

(ख)– परिवहन से संबंधित रजिस्टरों एवं भुगतानादेश का मासिक जांच तथा प्रतिवेदन वरीय आरक्षी अधीक्षक को ।

4– सामान्य पत्राचार:– उपाधीक्षक की सहायता से वरीय पदाधिकारियों के साथ पत्राचार।

5–स्थापना:–

(क)– क्षेत्राधिकार के अन्दर सिपाही एवं हवलदारों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन (डी.ए.पी.को छोड़कर) । सिपाही एवं हवलदार की प्रार्थना पर विचार करना ।

(ख)– क्षेत्राधिकार के अन्दर पदस्थापित बल का अर्दली रूम करना ।

(ग)– अग्निशाम सेवा ।

(घ)– विभागीय कार्यवाही का प्रारंभ एवं निष्पादन ।

(च)– अपने क्षेत्राधिकार के अवर निरीक्षक, आरक्षी निरीक्षक के गोपनीय अभ्युक्ति का प्रारंभ करना । मासिक कार्य संक्षिप्त विवरणी की समीक्षा।

6– गोपनीय:– क्षेत्राधिकार से संबंधित डब्ल्यू.सी.डी. का आलेखन, जिसे वरीय आरक्षी–अधीक्षक के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्न किया जायेगा । क्षेत्राधिकार से प्राप्त डब्ल्यू.सी.डी. का निष्पादन ।

7– अवकाश:–

(क)– वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को अनुशंसा [illegible] उप–[illegible] निरीक्षक का स्वीकृति ।

(ख)– क्षेत्राधिकार पदस्थापित अवर निरीक्षक(थाना प्रभारी नहीं) [illegible] न्यून [illegible] के पदाधिकारियों एवं बल का आकस्मिक/क्षतिपूर्ति [illegible] स्वीकृति [illegible]आ.ए.पी. को छोड़कर) ।

8- निलम्बन:- अपने क्षेत्राधिकार के अवर निरीक्षक और उनके नीचे के [illegible] [illegible] एवं हवलदार का निलम्बित कर सकते हैं, [illegible] अनुशासन कायम रखें।

9- विविध:-

(क)- [illegible] अधीक्षक, वरीय आरक्षी अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(ख)- अपने क्षेत्राधीन पदस्थापित अवर निरीक्षक और नीचे की श्रेणी के आरक्षी/हवलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ एवं अन्तिम आदेश दे सकते हैं, परन्तु बर्खास्तगी संबंधी अंतिम [illegible] आरक्षी अधीक्षक द्वारा पारित किया जायगा। ऐसी स्थिति [illegible] अनुशंसा सहित विभागीय कार्यवाही संचिका अंतिम आदेश के [illegible] आरक्षी अधीक्षक को पृष्ठांकित करेंगे।

(ग)- सप्ताह में एक बार पुलिस पैरेड में भाग लेंगे [illegible] अधीक्षक या आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण भाग नहीं लेते हों।

(घ)- [illegible] सभा के समय उपस्थित रहेंगे।

आरक्षी अधीक्षक ग्रामीण

1- निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण:-

(क)- अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर हर पोस्ट का निरीक्षण।

(ख)- [illegible] के सभी विशेष प्रतिवेदित एवं अविशेष प्रतिवेदित काण्डों [illegible] महत्वपूर्ण काण्डों/लंबित अनुसंधानगत काण्डों/अपराध समीक्षा से आरक्षी अधीक्षक को अवगत रखना।

(ग)- [illegible] के अपराध कार्यालय के कागजात यथा अपराध पंजी, [illegible]/[illegible]/चौकीदारी संबंधी मामले कोलिरोपतर/[illegible] [illegible] पंजी/अपराध नियंत्रण संबंधी संचिकाएं/अग्रिम पेट्रोलिंग [illegible] का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।

(घ)- क्षेत्राधिकार के अन्दर पुलिस एवं [illegible] के विरुद्ध आरोपों का [illegible] महत्वपूर्ण तथ्यों से [illegible] आरक्षी अधीक्षक को अवगत रखना।

(ङ)- क्षेत्राधिकार के अन्दर बन्दूक सत्यापन।

2- [illegible]:- अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर दफादार एवं चौकीदार के [illegible] "[illegible]" एवं "पी" फॉर्म का निष्पादन।

[illegible]

3- परिवहन:- अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर वाहन के संबंध में प्रोतेक्शन प्रतिवेदन ।

4- स्थापना:-

(क)- क्षेत्राधिकार के अन्दर (डी.ए.पी. को छोड़कर) सिपाही एवं हवलदार का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन ।

(ख)- क्षेत्राधिकार के अन्दर पदस्थापित बल का अर्दली रूम ।

(ग)- अन्य विविध कार्य जिसे करने के लिये वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

(घ)- क्षेत्राधिकार के अन्दर अवर निरीक्षक/आरक्षी निरीक्षक को गोपनीय चरित्र पुस्तिका का प्रारंभ करना ।

5- भंडार:-

(क)- डी.ए.पी. क्लोदिंग स्टोर को छोड़कर जिला क्लोदिंग स्टोर का सामयिक सत्यापन ।

(ख)- प्रभार के आरक्षी निरीक्षकों के संक्षिप्त कार्य की समीक्षा ।

(ग)- अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी के यात्रा दैनन्दनी की समीक्षा ।

6- अवकाश:-

(क)- वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं जिलाधिकारी की अनुशंसा पर क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक अवकाश की स्वीकृति देंगे ।

(ख)- अपने क्षेत्राधीन पदस्थापित अवर निरीक्षक(थाना प्रभारी नहीं) एवं उससे न्यून श्रेणी के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का आकस्मिक/क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति (डी.ए.पी.को छोड़कर) ।

7- निलम्बन:- अपने क्षेत्राधीन अवर निरीक्षक और नीचे के पदाधिकारी और आरक्षी एवं हवलदार को निलम्बित कर सकते हैं ताकि बल में अनुशासन कायम रहे।

8- विविध:-

(क)- आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण वरीय आरक्षी अधीक्षक के मार्ग-दर्शन [illegible]

(ख)- अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थापित अवर निरीक्षक और नीचे के [illegible] आरक्षी एवं हवलदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ [illegible] एवं उचित आदेश पारित कर सकते हैं । परन्तु विभागीय [illegible] किसी के विरूद्ध बर्खास्तगी का अंतिम आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा पारित किया जायगा । ऐसी स्थिति में अपना अनुशंसा सहित [illegible] कार्यवाही वरीय आरक्षी अधीक्षक को बर्खास्तगी संबंधी अंतिम आदेश पारित करने के लिए पृष्ठांकित करेंगे ।

(ग)- सप्ताह में एक बार पुलिस परेड में भाग लेंगे जिस दिन वरीय ... अधीक्षक या नगर आरक्षी अधीक्षक भाग नहीं लेते हों ।

(घ)- पुलिस सभा के समय उपस्थित रहेंगे ।

आरक्षी अधीक्षक, यातायात

1- अधिकार क्षेत्र:-

पटना जिला में पदस्थापित अन्य आरक्षी अधीक्षक की भांति आ... अधीक्षक यातायात का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण पटना जिला ... यातायात स्थापना कार्य मुख्य रूप से पटना नगर निगम, दानापु... एवं फुलवारी शरीफ क्षेत्र में रहेगा ।

2- कार्य एवं उत्तरदायित्व:-

(क)- आरक्षी अधीक्षक, यातायात, पटना यातायात संगठन के पूर्ण ... पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण वरीय आरक्षी अधीक्षक का रहेगा ।

(ख)- यातायात संगठन के कर्मियों का स्थानान्तरण एवं पदस्था... करेंगे जिस प्रकार नगर आरक्षी अधीक्षक अपने अधिकार क्षे...

(ग)- पटना यातायात के पदाधिकारी एवं कर्मियों पर पूर्णअनु... रखेंगे ।

(घ)- अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों को गोपनीय चरित्र अ... प्रारंभ करेंगे एवं उसे वरीय आरक्षी अधीक्षक के पास अग्रसारित...

(च)- पटना जिला के यातायात संबंधी सभी अपराध एवं वाहनों ... अपराधों के अनुसंधान का नियंत्रण रखेंगे ।

(छ)- जिला आरक्षी अधीक्षक की भांति यातायात संगठन के ... शक्ति का प्रयोग करेंगे ।

(ज)- अपराध शाखा के कार्य में वरीय आरक्षी अधीक्षक को ...

(झ)- यातायात व्यवस्था के संबंध में वरीय आरक्षी अधीक्षक ... हुए सीधे क्षेत्रीय उप- महानिरीक्षक से पत्राचार करेंगे ।

(ट)- यातायात आरक्षियों को कार्य कुशल प्रशिक्षण एवं पुलि... प्रशिक्षु आरक्षि०, यातायात को उत्तरदायी बनायेंगे।

क्र.प...

5- महत्वपूर्ण :-

(क)- नगर आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण की तरह वरीय आरक्षी अधीक्षक की अनुशंसा पर क्षेत्रीय उप- महानिरीक्षक द्वारा ... स्वीकृत किया जायगा ।

(ख)- नगर आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण की भांति आरक्षी अधीक्षक यातायात भी वरीय आरक्षी अधीक्षक के नियंत्रणाधीन रहेंगे ।

(अरुण कुमार चौधरी)
आरक्षी महानिदेशक, बिहार

ज्ञापांक 2565 /एस.पी.
एस.पी.- 2- 11-31-91

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26 मई 92

प्रतिलिपि:-

1- सभी आरक्षी अधीक्षक(रेलवे सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

2- सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक(रेलवे सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

3- महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक(मुख्यालय) ... / आरक्षी महानिरीक्षक, अप.अनु. विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

4- सचिव, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

(अरुण कुमार चौधरी)
आरक्षी महानिदेशक, बिहार ।

पकज/ 21-5-92